छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 29 /वि.स./वि.वि./नि0स0/2015 रायपुर, दि0 23/12/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः— छत्तीसगढ़ राज्य के सूखा–प्रभावित कृषकों के लिए ग्रामीण बैंक तथा अन्य शेड्यूल बैंको द्वारा खरीफ वर्ष 2015 के अल्पकालीन कृषि ऋण पर राहत योजना।

——00——

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सूखा–प्रभावित कृषकों के लिए ग्रामीण बैंक तथा अन्य शेड्यूल बैंको द्वारा खरीफ वर्ष 2015 के अल्पकालीन कृषि ऋण पर राहत प्रदान करने के लिए जारी योजना की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार ।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग.

पृ.कमांक 30/वि.स/वित्त वि./2015 रायपुर, दिनांक 23/12/2015
प्रतिलिपिः—

1/ राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2/ सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय,
3/ सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
4/ रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5/ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर,
6/ निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ रायपुर,
7/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
8/ मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर,
9/ प्रमुख सचिव के स्टाफ ऑफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर,

10/ आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
11/ आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
12/ राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर,
13/ समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
14/ आयुक्त कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर,
15/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर,
16/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़,
17/ समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़,
18/ समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
19/ संचालक, शासकीय लेख सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर,
20/ समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़,
21/ संचालक, वित्तीय प्रबंधक एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट WWW.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
22/ संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर समस्त बैंकों को सूचित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / 31 /वि.ए./ 2015 नया रायपुर दिनांक 23/ 12 / 2015

सूखा प्रभावित कृषकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण राहत व ब्याज अनुदान योजना – 2015

प्रस्तावना :– छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के सभी सूखा प्रभावित कृषकों के द्वारा खरीफ 2015 में लिये गए अल्पकालीन कृषि ऋणों को ब्याज रहित मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन की सुविधा एवं आंशिक ऋण माफी का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अल्प कालीन कृषि ऋण के संदर्भ में दिये जाने वाले ब्याज अनुदान के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार योजना निर्धारित की जाती है।

(01) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह योजना "**सूखा प्रभावित कृषकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण राहत व ब्याज अनुदान योजना – 2015**" कहलाएगा।

(दो) यह योजना खरीफ 2015 में लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण जो 30 सितंबर, 2015 पर बकाया है, के लिये प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा।

(02) परिभाषाएं

(एक) कृषकः– "**कृषक**" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौसमी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो।

(दो) सीमांत कृषकः– "**सीमांत कृषक**" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो अधिकतम 2.50 एकड़ तक भूमि धारण करता हो।

(तीन) लघु कृषकः– "**लघु कृषक**" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो 2.5 एकड़ से अधिक तथा 5.00 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो।

(चार) बैंक :– "**बैंक**" से अभिप्राय है ग्रामीण बैंक, एवं अन्य शेड्यूल्ड बैंक, जिसे आगे बैंक के नाम से उल्लेखित किया गया है।

(पॉच) अल्पकालीन कृषि ऋण :– "**अल्पकालीन कृषि ऋण**" का अभिप्राय सीधे किसानों अथवा किसानों के समूह (स्व सहायता समूह) को दिये गये अल्पावधि फसल ऋण से है। इस

ऋण सामान्य कृषि कार्य के लिये वितरित ऋण, अन्य कृषि आदान एवं उपरकरण, सिंचाई साधन, कृषि एवं कृषि संबध उत्पादनों के विपणन एवं पशु पालन,मतस्य पालन व उद्यानिकी सम्मिलित है।

(छः) सक्षम अधिकारी :– "सक्षम अधिकारी" अभिप्राय संबंधित बैंक के छत्तीसगढ़ राज्य स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रभारी प्रबंधक से है अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम 2(चार) में वर्णित बैक के लिय सक्षम अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सक्षम हो।

(03) ऋण राहत / ऋण परिवर्तन की पात्रता :– आंशिक ऋण माफी एवं ऋण परिवर्तन की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

(अ) ऋण राहत :–

(एक) ऋण राहत की पात्रता कंडिका 2(चार) में वर्णित बैंकों के द्वारा वितरित ऋण के लिये होगी।

(दो) ऋण राहत की पात्रता केवल लघु एवं सीमांत कृषकों को उस ऋण पर होगी जो कंडिका 2(पांच) में वर्णित हो।

(तीन) कृषक सदस्यों को दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक संवितरित अल्पकालीन कृषि ऋण, जो दिनांक 30 सितंबर, 2015 पर बकाया हो।

(चार) ऋण राहत की पात्रता आर.बी.सी.6–4 के अंतर्गत राहत पाने के लिये पात्र पाए गए लघु एवं सीमांत कृषकों को ही होगी।

(पॉच) खरीफ 2015 में 01 अप्रेल, 2015 से 30 सितंबर, 2015 तक वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण की वह राशि जो 30 सिंतंबर, 2015 पर बकाया है, उक्त राशि में से 75 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा नियत तिथि (15 मार्च, 2016) तक जमा किये जाने पर 25 प्रतिशत ऋण राशि माफ की जायेगी। निर्धारित 75 प्रतिशत के कम राशि कम जमा करने वाले कृषकों अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात् राशि जमा करने वाले कृषकों कों 25 प्रतिशत ऋण माफी का लाभ प्राप्त नही होगा।

(ब) ऋण परिवर्तन :–

(एक) सूखा प्रभावित 0 से 37 पैसे तक अनावारी वाले ग्रामों में खरीफ 2015 हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को वितरित एवं बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण को तीन वर्ष की अवधि के लिये मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जा सकेगा ।

क्र.	वर्ष	ऋण का प्रतिशत
1	2015–16	30 प्रतिशत
2	2016–17	50 प्रतिशत
3	2017–18	20 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार ऋण अदायगी पर शेड्यूल्ड बैंकों को तीन प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शून्य प्रतिशत ब्याज दर से कृषकों को दी जाने वाली ब्याज अनुदान हेतु क्षतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।

(दो) 38 पैसे से 50 पैसे तक की अनावारी वाले ग्रामों में लघु एवं सीमांत कृषकों को वितरित खरीफ 2015 के बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण को दो वर्ष के लिये परिवर्तन किया जा सकेगा ।

क्र.	वर्ष	ऋण का प्रतिशत
1	2015–16	50 प्रतिशत
2	2016–17	50 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार ऋण अदायगी पर शेड्यूल्ड बैंकों को तीन प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शून्य प्रतिशत ब्याज दर से कृषकों को दी जाने वाली ब्याज अनुदान हेतु क्षतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।

(तीन) 50 पैसे से अधिक आनावारी धोषित ग्रामों में जिन लघु एवं सीमांत कृषकों को आर.बी.सी. 6–4 के अंतर्गत राहत का पात्र पाया गया है उन कृषकों को वितरित खरीफ 2015 के बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण को दो वर्ष के लिये परिवर्तन किया जावेगा।

क्र.	वर्ष	ऋण का प्रतिशत
1	2015–16	50 प्रतिशत
2	2016–17	50 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार ऋण अदायगी पर शेड्यूल्ड बैंकों को तीन प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शून्य प्रतिशत ब्याज दर से कृषकों को दी जाने वाली ब्याज अनुदान हेतु क्षतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।

(चार) ऋण परिवर्तन की सुविधा केवल ऐसे कृषकों को होगी जिन्हें आर.बी.सी. 6–4 के अंतर्गत राहत पाने की पात्रता होगी।

(04) नियत देय तिथि :– खरीफ 2015 में वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण की अदायगी की नियत देय तिथि कृषक स्तर पर 15 मार्च, 2016 पूर्व से निर्धारित है। अतः ऋण राहत योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत ऋण राशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2016 निर्धारित की जाती है।

इसी प्रकार मध्यकालीन परिवर्तन ऋण हेतु भी कृषक स्तर पर अंतिम तिथि 15 मार्च, 2016 निर्धारित की जाती है। ब्याज मुक्त ऋण परिवर्तन का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रतिशत में ऋण अदायगी करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2016 निर्धारित की जाती है।

(05) ब्याज अनुदान आंकलन :–

ब्याज अनुदान आंकलन का सूत्र निम्नानुसार होगा :–

क.	विवरण	जोड़े या घटावे	ब्याज दर
1.	नियम 2(पांच) में उल्लेखित अल्पकालीन कृषि ऋण के लिये कृषक को उपलब्ध करायी गयी कृषि ऋण सुविधा पर लागू ब्याज दर		
2.अ	केन्द्र शासन अथवा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त ब्याज अनुदान दर		
2.ब	कृषक से सीधे वसूल की गई 3 प्रतिशत की ब्याज दर		
3.	राज्य शासन से प्रतिपूर्ति की जाने वाली ब्याज अनुदान दर		
	अर्थात		
	1–(2अ + 2ब) = 3		

(06) आहरण एवं भुगतान प्रकिया :–

(एक) ब्याज अनुदान का आंकलन कर दावा (क्लेम) प्रस्तुत करने की प्रकिया निम्नानुसार होगी :–

शाखा के लिये :– ब्याज अनुदान का आंकलन शाखा ब्याज अनुदान का आंकलन कर निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त दावा (क्लेम) की समेकित जानकारी संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करेंगे।

(दो) बैंक शाखाओं द्वारा प्रत्येक छमाही अर्थात् 30 सितंबर और 31 मार्च की तिथि या निर्धारित प्रपत्र में दावा (क्लेम) की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

(तीन) बैंक द्वारा ब्याज अनुदान की दावा (क्लेम) की गई अग्रिम राशि में से प्रत्येक छमाही में शाखाओं से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वास्तविक दावा (क्लेम) करने अथवा वापसी योग्य राशि का आगामी छमाही में समायोजन किया जा सकेगा।

(चार) इस नियम की अवहेलना पाये जाने पर ब्याज अनुदान रोकने/स्थगित करने का अधिकारी संस्थागत वित्त संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन को होगा।

(पांच) ब्याज अनुदान के लिये आवश्यक बजट प्रावधान संस्थागत वित्त संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा।

(07) आर.बी.सी. 6–4 की राहत पाने हेतु पात्र कृषकों की सूची का प्रदाय :– आर.बी. सी. 6–4 के अंतर्गत राहत पाने हेतु जिले के पात्रताधारी कृषकों की सूची का प्रदाय जिले के कलेक्टर के द्वारा एक प्रति जिले के लीड बैंक को शीघ्र उपलब्ध कराई जावेगी।

(08) ग्रामवार आनावारी सर्टिफिकेट :– ऋण परिवर्तन हेतु नाबार्ड के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ग्रामवार आनावरी सर्टिफिकेट 31 जनवरी, 2016 के पूर्व जिले के कलेक्टर द्वारा बैंकों को अनिवर्यातः उपलब्ध कराया जावेगा।

(09) ऋण देने वाली संस्था के दायित्व :– ऋण देने वाली प्रत्येक बैंक इस योजना के अधीन पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान के संबंध में ऋण माफी की सत्यता एवं विश्वसनीयता के लिये जिम्मेदार होगी। ऋण देने वाली बैंक/संस्था द्वारा इस योजना के उददेश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी

किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र पर ऋण देने वाली बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम होना चाहिये।

(10) **लेखा परीक्षा** :– प्रत्येक ऋण देने वाली बैंक जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है उसकी लेखा बहियॉ राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्याविधी के अनुरूप लेखापरीक्षा के अधीन होगी कि लेखापरीक्षा राज्य शासन द्वारा निर्धारित संगामी लेखा परिक्षकों, सांविधिक लेखापरिक्षकों या विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। राज्य शासन किसी ऋण दाता बैंक के मामले में या उसकी किसी एक या अधिक शाखाओं को विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश दे सकती है।

(11) **प्रचार–प्रसार** :– इस योजना में शामिल प्रत्येक ऋण देने वाले बैंक की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी।

(12) **व्याख्या एवं कठिनाई दूर करने की शक्ति** :– राज्य शासन/संस्थागत वित्त संचालनालय, को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं कियान्वयन के लिये आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(13) **उपयोगिता प्रमाण पत्र** :– ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित बैंक के छत्तीसगढ़ राज्य स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रभारी प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित एवं अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित कराकर वास्तविक क्लेम का प्रतिवेदन संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
विशेष सचिव वित्त
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट

ब्याज अनुदान आंकलन पत्रक (उदाराणार्थ)

"A" केन्द्र शासन से ब्याज अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में :–

(रू. 100 पर)

क.	विवरण	जोड़े या घटावे	ब्याज दर
1.	नियम 2(पांच) में उल्लेखित अल्पकालीन कृषि ऋण के लिये कृषक को उपलब्ध करायी गयी कृषि ऋण सुविधा पर लागू ब्याज दर	9 प्रतिशत	9.00
2.अ	केन्द्र शासन अथवा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त ब्याज अनुदान दर	2 प्रतिशत	2.00
2.ब	कृषक से सीधे वसूल की गई 3 प्रतिशत की ब्याज दर	3 प्रतिशत	3.00
3.	राज्य शासन से प्रतिपूर्ति की जाने वाली ब्याज अनुदान दर	5 प्रतिशत	5.00
	अर्थात	4 प्रतिशत	4.00
	1–(2अ + 2ब) = 3		

"B" केन्द्र शासन से ब्याज अनुदान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में :–

(रू. 100 पर)

क.	विवरण	जोड़े या घटावे	ब्याज दर
1.	नियम 2(पांच) में उल्लेखित अल्पकालीन कृषि ऋण के लिये कृषक को उपलब्ध करायी गयी कृषि ऋण सुविधा पर लागू ब्याज दर	9 प्रतिशत	9.00
2.अ	केन्द्र शासन अथवा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त ब्याज अनुदान दर	निरंक	निरंक
2.ब	कृषक से सीधे वसूल की गई 3 प्रतिशत की ब्याज दर	3 प्रतिशत	3.00
3.	राज्य शासन से प्रतिपूर्ति की जाने वाली ब्याज अनुदान दर	3 प्रतिशत	3.00
	अर्थात	6 प्रतिशत	6.00
	1–(2अ + 2ब) = 3		